

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-549⁽¹⁾/IX-1/23(2014)/2017
देहरादून: दिनांक 24, जुलाई, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-663/IX-1/39/2014 दिनांक 09-12-2014 एवं अधिसूचना संख्या-775/IX-1/39/2015 दिनांक 19-09-2015 को अवक्रमित करते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-215 की उपधारा (2) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को निम्नानुसार गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-	मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2-	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6-	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9-	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10-	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11-	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
12-	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
13-	मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल	सदस्य
14-	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल	सदस्य
15-	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी	सदस्य
16-	रीजनल आफिसर, एन0एच0ए0आई0	सदस्य
17-	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य/सचिव

2- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों एवं सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी। इस विषय पर प्रदेश शासन को अपनी संस्तुतियों प्रस्तुत करेंगी।

AD(RS)
26/07/17

- 3- परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठक अनिवार्य होगी तथा परिषद अपनी बैठक में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।
- 4- परिषद, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा करेगी और उन्हें ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।
- 5- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय में गठित लीड एजेन्सी द्वारा परिषद के कार्यालय के रूप में कार्य किया जाएगा।

(डी० सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या-549/IX-1/23(2014)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- परिषद के अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- अपर परिवहन आयुक्त/समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, रुड़की को राजपत्र के आगामी अंक 50 प्रतियों में प्रकाशनार्थ।

अज्ञा से
(राजेश कुमार)
अनु सचिव।